प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.10.2025

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में लूट छीनैती, चोरी की घटना को कारित करने वाले 02 अभियुक्त (01 घायल अवस्था में) गिरफ्तार व कब्जे से दो छीने गये मोबाइल फोन, एक चोरी की गयी मोटर साइकिल एवं अवैध अस्लाह व कारतूस बरामद ।

दिनांक 03.10.2025 की रात्रि में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आर्य फार्म हाउस के पास चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान मोटर साईकिल सवार दो व्यक्तियों को पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया किन्तु नहीं रूके। मोटर साईकिल सावर बदमाश द्वारा मोटर साईकिल को पीछे मोड़कर गौरंग कम्पनी की ओर जाने वाले रास्ते पर भागने लगे। जिनका पीछा पुलिस द्वारा किया तथा बदमाशों की मोटर साईकिल अनियन्त्रित होकर फिसल कर गिर गयी। बदमाशो को पुलिस पार्टी द्वारा आत्मसर्मपण हेतु कहा गया लेकिन पुलिस पार्टी को अपनी ओर आता देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुये भागने का प्रयास किया गया। जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस पार्टी द्वारा भी सिखलाये गये तरीके से बदमाश पर फायरिंग की गयी जिसमें एक बदमाश शिवा उर्फ शिवम पुत्र गोवर्धन दास मुलपता गाँव नन्दपुर थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर उ0प्र0, हाल पता – राजीव कॉलोनी मोहन नगर थाना साहिबाबाद उ0प्र0 घायल हो गया जिसके कब्जे से एक अदद मोबाइल फोन, एक अदद तमंचा, एक खोखा कारतूस व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, एक अदद चोरी की गयी मोटरसाइकिल बरामद हुए तथा दूसरे बदमाश मुकेश पुत्र किशन पाल उर्फ किरन पाल निवासी राजीव कॉलोनी मोहन नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उ0प्र0, मूल निवासी ग्राम ग्यासपुर थाना अतरौली अलीगढ को पुलिस द्वारा मौके पर एक अदद छीना गये मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त शिवा उर्फ शिवम उपरोक्त को उपचार हेतु जिला एमएमजी हॉस्पिटल गाजियाबाद में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनों मिलकर एनसीआर क्षेत्र में बाजार एवं भीड़भाड़ वाली जगह से मोटर साईकिल चोरी करके उससे चलते फिरते व्यक्तियों से उनके पर्स एवं मोबाईल आदि सामान छीन कर भाग जाते हैं और उसे बेचकर जो रूपया मिलता है उसे आपस में बांट लेते तथा अपने शौंक पूरे करते हैं। हमारे पास से जो मोटर साईकिल मिली है। वह भी हमने कुछ दिन पहले रामलीला ग्राउन्ड के सामने से चोरी की थी तथा 01 मोबाइल दिनांक 30.09.2025 को हमने रात को एमएमजी अस्पताल के सामने से एक लडके से छीना था, तथा दुसरा मोबाइल हमने उसी दिन नन्दग्राम से एक आटो सवार से छीना था । आज भी हम दोनों किसी घटना की फिराक में घूम रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये।

नाम पता अभियुक्तः -

1. शिवा उर्फ शिवम पुत्र गोवर्धन दास मुलपता गाँव नन्दपुर थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर उ0प्र0, हाल पता – राजीव कॉलोनी मोहन नगर थाना साहिबाबाद उ0प्र0

2. मुकेश पुत्र किशन पाल उर्फ किरन पाल निवासी राजीव कॉलोनी मोहन नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उ0प्र0, मूल निवासी ग्राम ग्यासपुर थाना अतरौली अलीगढ

बरामदगी का विवरण:-

1. दो अदद छीने गये मोबाइल फोन
2. 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस
3. एक अदद चोरी की मोटर साईकिल स्पलेण्डर रजिस्ट्रेशन नम्बर UP14BX1608
4. 2100/- रूपये नगद

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत छात्राओं के सहयोग से यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद महोदय के निर्देशानुसार, कमिश्नरेट गाजियाबाद में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं को सशक्त बनाते हुए उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी निभाने हेतु प्रेरित करने तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता सुनिश्चित कराये जाने हेतु यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन गाजियाबाद के प्रमुख चौराहों/तिराहों पर किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुखतः इंग्राहम इंस्टिट्यूट हापुड़ रोड की कक्षा 11वीं व 12वीं की छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनमानस विशेषकर वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना एवं सड़क सुरक्षा की भावना को जन-जन तक पहुँचाना था। छात्राओं द्वारा वाहन चालकों को निम्नलिखित बिंदुओं पर जागरूक किया गया:

- दो-पहिया वाहन चलाते समय सदैव हेलमेट का प्रयोग करें।
- दो-पहिया वाहन पर तीन सवारी न बैठाएं।
- चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें।
- मोबाइल फोन का वाहन चलाते समय प्रयोग न करें।
- निर्धारित गति सीमा का पालन करें।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं के द्वारा जागरूकता फ़ैलाने के साथ साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सम्बंधित यातायात निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक यातायात से माध्यम से कुल 568 वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही भी करायी गयी। यह अभियान आगे भी अनवरत जारी रहेगा।

आमजन से अपील

यातायात पुलिस गाजियाबाद सभी नागरिकों से अपील करती है कि:

- कृपया यातायात नियमों का पालन करें।
- स्वयं सुरक्षित रहें तथा दूसरों की सुरक्षा में भी योगदान दें।
- अपने बच्चों व परिवार को भी यातायात नियमों के पालन हेतु प्रेरित करें।
- यातायात पुलिस का सहयोग करें और मिशन शक्ति जैसे अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा ईंट मारकर अपने पति की हत्या करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 29.09.2025 को वादिया श्रीमती सुनीता पत्नि मनीष निवासी किराये का मकान सिंकरोड शिव मन्दिर वाली गली थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद ने सूचना दी कि दिनांक 29.09.2025 को मेरे पति मनीष की उनके दोस्त भोला और अक्षय के द्वारा शराब पीने के दौरान झगडा होने पर हत्या कर है। प्राप्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया।

<u>कार्यवाही का विवरण</u>- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन किया गया, दिनांक 03.10.25 को मुखबिर की सूचना के आधार पर सिकरोड मे गुड्डू के मकान से अभियुक्ता श्रीमती सुनीता पत्नि मनीष निवासी किराये का मकान सिकरोड शिव मन्दिर वाली गली थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्ता की निशानदेही पर घटना के समय पहने कपडे बरामद किये गये। अभियुक्ता के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>अभियुक्त का नाम व पता-</u>

सुनीता पत्नी मनीष निवासी किराये का मकान सिकरोड शिव मन्दिर वाली गली थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष

<u>पूछताछ का विवरण</u>- अभियुक्ता से पूछताछ पर बताया कि साहब दिनांक 12.09.2025 से ग्राम सिकरोड में अपने पति के साथ गुड्डू के मकान में किराये पर रह रहे थे। दिनांक 28.09.2025 को मनीष ने घर का फ्रीज भी शराब पीने के लिये बेच दिया था। उस समय उसके साथ अक्षय भी मौजूद था। फिर शाम को मनीष शराब पीने भट्टा नं0 पाँच सोमवार बजार के पास ठेके पर चला गया था जो काफी समय तक नहीं आया तो मैं उसे देखने करीब दस बजे ठेके के सामने खाली मैदान मे गयी थी तो मनीष वहीं बैठा शराब पी रहा था मैंने उसे घर चलने के लिये कहा था तो उसने मना कर दिया था। तभी वहाँ से मोटर साईकिल पर मनीष का दोस्त भोला और वीरु ग्राम सिकरोड की तरफ जा रहे थे तो मैंने उन्हे आवाज लगाकर रूकवाकर उनके साथ अपने घर मोटर साईकिल पर बैठकर चली आयी थी। वो मुझे घर के पास छोडकर अपने अपने घर चले गये थे फिर मैं तभी दोबारा मनीष को लेने के लिये ठेके के सामने खाली मैदान पर गयी थी तो मनीष को ज्यादा नशा हो गया था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की थी तभी उसने मुझे व मेरी लडकियों को बदचलन व धन्धा करने वाली औरत कहते हुये गाली गलौच की थी तथा मेरी गर्दन पकड ली थी फिर मैने अपनी गर्दन छुडाकर गुस्से मे आकर पास में पडी एक ईंट से उसके सिर व मुंह पर उसे मारने की नीयत से वार किये थे तो मनीष वहीं पर गिर गया था। मेरे कपडों पर भी खून के छीटे आ गये थे फिर मैं ईट को वहीं छोडकर अपने कमरे पर चली आयी थी। मैंने अपनी सहेली गुड्डी को मनीष के मार देने की बात बता दी थी। अपने घटना के समय पहने कपडे निकालकर धो दिये थे। फिर मैं सुबह मनीष को ढूंढने का नाटक करते हुये ठेके

के पास गयी थी तो वहाँ पर कुछ अन्य लोग भी खडे थे। मौके पर पुलिस वाले भी आ गये थे। मनीष का भाई संदीप व उसका पिता रामवीर भी मौके पर आ गये थे। तब मैंने संदीप व उसके पिता रामवीर को मनीष के दोस्त भोला व अक्षय द्वारा शराब पीकर झगडा करने की बात बताते हुये मनीष की हत्या करने की बात उन्हें बतायी थी तथा सन्दीप को लेकर मैं थाना नन्दग्राम गयी थी तथा सन्दीप से बोल बोल कर प्रार्थना पत्र लिखवाकर मनीष की हत्या भोला व अक्षय द्वारा किये जाने का मुकदमा लिखाया था। तथा मैं उसी दिन हत्या की बात खुल जाने के डर से कमरा बन्द करके चली गयी थी। आज अपने कपडे व जरूरत का सामान लेने के लिये आयी थी। साहब मुझसे गलती हो गयी।

बरामदगी का विवरण-

घटना के समय पहने कपडे (कुर्ती काला रंग व एक सलवार काला रंग तथा एक चुन्नी रंग सफेद)

गिरफ्तार करने वाली टीम—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 48 घण्टे के अन्दर ब्लाइंड मर्डर की घटना का सफल अनावरण करते हुये हत्या कारित करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल लोहे की रॉड बरामद ।

दिनांक 01.10.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि वादी के भाई अब्दुल रहमान उम्र करीब 58 वर्ष जो कबाडी का गोदाम करता है उसको अज्ञात अभियुक्त द्वारा चोरी करने के उद्देश्य से गोदाम के अन्दर घुसकर सिर में भारी वस्तु से चोट मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई, तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना का सफल अनावरण हेतु थाना स्तर पर 03 टीमों का गठन किया गया।

आज दिनांक 03.10.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा ब्लाइंड मर्डर की घटना का 48 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुये प्रकाश में आये अभियुक्त सुमित कुमार उर्फ हनी पुत्र विजय कुमार निवासी इलायचीपुर रोड कासिम विहार निकट फेस 2 थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष को ख्वाजा पार्क इलायचीपुर चौकी क्षेत्र सिग्नेचर सिटी से हिरासत पुलिस में लिया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त सुमित कुमार उर्फ हनी उपरोक्त ने बताया कि मुझे नशा करने का शौक है इलायचीपुर रोड के किनारे कबाडी का गौदाम है मैं वहां आता जाता था। मैंने अन्दर गौदाम में भी घूम कर देखा था उसके अन्दर मुझे पीतल, तांबे का सामान रखा हुआ दिखाई दिया था। मेरे मन में लालच आ गया था मैने स्वयं योजना बनाई थी। रामलीला चल रही थी, लोग व्यस्त है। मैं पिछली तरफ से कूद कर गोदाम के अन्दर घुसा और सामान की चोरी करके ठेली में रखकर ले जाने लगा। मेरे पैरो की आवाज से कबाडी जाग गया और शौर मचाने की कोशिश की तथा कहने लगा की तू चोरी करके

सामान कहाँ ले जा रहा है तेरे खिलाफ रिपोर्ट करूंगा। मैंने अपने आप को पकडे जाने के डर से आवेश में आकर पास में ही पडे लोहे का रॉड उठाकर उसके सिर पर वार किया जिससे वह मौके पर बेहोश होकर गिर गया था तथा सिर से खून निकलने लगा था। मैंने सोचा कि यह मर गया है और मै पकडे जाने के डर से बाहर सडक पर ठेली सामान सहित छोडकर भाग गया था। आज मैं ख्वाजा पार्क में अपने मिलने वाले से घटना के बारे में उस व्यक्ति के बारे मे जानकारी करने आया था किसी ने मेरी मुखबिरी करके मुझे पकडवा दिया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त -

सुमित कुमार उर्फ हनी पुत्र विजय कुमार निवासी इलायचीपुर रोड कासिम विहार निकट फेस 2 थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त सुमित कुमार उर्फ हनी उपरोक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त घटना कारित करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत हैं, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।